UPKU010056642023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०) एक्ट, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थित-सुनील कुमार यादव, एच०जे०एस०,UP.5949

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-2819/2023

आशा देवी उम्र 55 वर्ष पत्नी हेमन्त लाल श्रीवास्तव,
ग्राम-श्यामपट्टी, थाना-तमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर।

.....प्रार्थिनी/अभियुक्ता

बनाम

1- उत्तर प्रदेश राज्य,
2- सलोनी पुत्री महन्थ,
ग्राम-श्यामपट्टी, थाना-तमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर। .....विपक्षीगण

विशेष सत्र परीक्षण संख्या-1086/2023,
मु०अ०सं०-219/2023,
धारा-34,302,504,506 भा०द०सं० 1860 एवं
धारा-3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट 1989,
थाना-तमकुहीराज,
जनपद-कुशीनगर।

<u>जमानत प्रार्थना-पत्र का निस्तारण</u>

1- यह प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र अभियुक्ता आशा देवी द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या-1086/2023, मु०अ०सं०-219/2023, अन्तर्गत धारा-34, 302, 504, 506 भा०द०सं० 1860 एवं धारा-3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट 1989, थाना-तमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2- मैंने अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् अवलोकन किया।

3- यह कि संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि मुकदमा वादिनी सलोनी ने दिनांक 01.07.2023 को थाना-तमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर में मुख्य रूप से इस आशय का प्रार्थना-पत्र दी है कि वह ग्राम-श्यामपट्टी, थाना-तमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर की रहने वाली है। आज दिनांक 01.07.2023 को समय लगभग 07.00 बजे सुबह वह, उसकी माँ मन्जू देवी पत्नी महंथ गोंड़ एवं उसकी छोटी बहन शालिनी गाँव के हेमन्त लाल श्रीवास्तव पुत्र स्व० परशुराम लाल श्रीवास्तव की झोपड़ी के पास सड़क के किनारे बैठकर आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर हेमन्त लाल श्रीवास्तव व उनकी पत्नी आशा देवी पहुँच कर हमलोगों को जातिसूचक गालियाँ देकर भगाने लगे, जिस पर उसकी माँ द्वारा गाली देने से मना करने पर ये लोग आग-बबूला होकर जान से मारने की धमकी देते हुए ये लोग और इनके

पुत्र आलोक, पुत्री साक्षी उर्फ रंगोली अपने साथ धारदार हथियार, लाठी, डण्डा, लोहे की राडनुमा हथियार से लैश होकर जानलेवा हमला कर उसकी माँ को मार-पीटकर हत्या कर दिये। वह अपनी माँ को सरकारी अस्पताल, तमकुहीराज ले गई, जहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मुकदमा वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण हेमन्त लाल श्रीवास्तव, आशा देवी, आलोक एवं साक्षी उर्फ रंगोली के विरूद्ध धारा 302, 504, 506 भा०द०सं० 1860 एवं 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट 1989 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ।

4- यह कि अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना-पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो लम्बित है और न ही खण्डित है। वह निर्दोष है, उसने तथाकथित कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसे झूठा फंसाया गया है। उससे या उसके परिवार से मृतका की कोई रंजिश नहीं थी। मृतका/मुकदमा वादिनी के पास अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र नहीं है और न ही उसके अथवा अन्य सह अभियुक्त के बताने पर आला कत्ल बरामद हुआ है। वह अस्वस्थ व बीमार रहती है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह दिनांक 01.07.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में देवरिया जेल में निरूद्ध है और अन्त में न्यायालय द्वारा दिये गये शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

5- यह कि अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्ता निर्दोष है, उसने तथाकथित कोई अपराध कारित नहीं किया है और न ही उसके बताने पर कोई आलाकत्ल बरामद हुआ है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने शेष तर्कों में उन्हीं तथ्यों को दोहराया है, जिसका उल्लेख उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र में किया गया है और अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

6- इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्ता ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मुकदमा वादिनी की माँ को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये गाली-गुप्ता एवं जान से मारने की धमकी देते हुए धारदार हथियार आदि से मारकर हत्या किया है और जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

7- यह कि पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि दिनांक 01.07.2023 को समय लगभग 07.00 बजे सुबह मुकदमा वादिनी सलोनी, उसकी माँ श्रीमती मन्जू देवी और उसकी छोटी बहन शालिनी अभियुक्त की झोपड़ी के पास सड़क के किनारे बैठकर आपस में बात कर रहे थे, तभी अभियुक्त और उसकी पत्नी वहाँ आकर गाली देते हुए और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भगाने लगे, जिसका विरोध श्रीमती मन्जू देवी ने किया तो अभियुक्तगण सामान्य आशय से अपने हाथों में लिये धारदार हथियार, लाठी, डण्डा और लोहे की राडनुमा हथियार से मार-पीटकर श्रीमती मन्जू देवी की हत्या कर दिये, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतका का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ० प्रशान्त कुमार ने अपने धारा 161 द०प्र०सं० 1973 के बयान में बताया है कि मन्जू देवी पत्नी महन्थ प्रसाद, ग्राम-श्यामपट्टी, थाना-तमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर को 5 चोटें आई थीं और उसकी मृत्यु का कारण Death is due to haemorrhage and shock as a result of antemortem injury होना पाया गया था, जिसका समर्थन चश्मदीद/स्वतंत्र साक्षी शालिनी, उर्मिला देवी व रेनू देवी द्वारा अपने धारा 161 द०प्र०सं० 1973 के बयान में किया गया है। अभियुक्त के बताने पर पुलिस द्वारा स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष आलाकत्ल बरामद कराया गया है। विवेचक द्वारा मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए

आरोप-पत्र दाखिल किया गया है और मुकदमा वादिनी सलोनी प्रसाद एवं मृतका के पति महंथ प्रसाद का केसडायरी के साथ जाति प्रमाण-पत्र भी दाखिल किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि मुकदमा वादिनी और मृतका अनुसूचित जाति के हैं और उन्हें अनुसूचित जाति का होना जानते हुए मुकदमा वादिनी की माँ मन्जू देवी की हत्या की गई है। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध अत्यन्त ही गम्भीर प्रकृति का है, अभियुक्ता प्रभावशाली महिला है, यदि इसे जमानत दी जाती है तो वह अभियोजन के साक्षियों को प्रभावित कर सकती है।

8- अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्ता आशा देवी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 06.10.2023

(सुनील कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
अनु०जाति/अनू०जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि०,
कुशीनगर स्थान पडरौना।

Digitally signed by Sunil Kumar Yadav
Date: 2023.10.06 16:02:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court